मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम-19-21/ (1990)/1/(4) भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
प्रमुख सचिव/सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव,
सभी संभागीय कमिश्नर,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
सभी कलेक्टर,
सभी विभागाध्यक्ष,
राज्यपाल के सचिव,
सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,
समस्त शासकीय/अर्धशासकीय निकाय,
समस्त निगम, परिषदें, अकादेमियां (मध्यप्रदेश)

**विषय.–** सरकारी कामकाज एवं पत्र व्यवहार में हिन्दी का अनिवार्य प्रयोग।

सरकारी कार्यालयों, अर्धशासकीय निकायों, उपक्रमों तथा निगमों में तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी प्रकार का सरकारी कामकाज अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही किये जाने के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं। उन्हें अनेक बार दुहराया भी जा चुका है। केन्द्र तथा अन्य राज्यों से भी पत्र-व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट भाषा में ही किये जाने चाहिए। इसमें कोई विकल्प नहीं है।

2. राज्य शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वैधानिक व्यवस्था तथा शासन के स्पष्ट और बारम्बार निर्देशों के बावजूद अंग्रेजी का उपयोग करने के प्रलोभन से बचा नहीं जा रहा है। यह देखने में आ रहा है कि कुछ विभाग, निगम, उपक्रम और अर्धशासकीय संस्थान अभी भी तकनीकी विषयों का बहाना लेकर अपने दैनिक सरकारी कामकाज, पत्र-व्यवहार, निमंत्रण-पत्र, नामपट्ट, सूचनाएं, समाचार -पत्रों में निविदाएं, विज्ञप्तियां आदि के प्रकाशन तथा केन्द्र और अन्य राज्यों से सम्पर्क में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं।

3. अतः मंत्रिपरिषद् ने निर्णय लिया है कि सचिवालय में सभी स्तरों पर एवं शासकीय कार्यालयों, अर्धशासकीय निकायों, उपक्रमों, संस्थाओं और निगमों में समस्त कार्य, पत्र- व्यवहार अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में ही किया जाए। केन्द्र शासन को भेजे जाने वाले पत्रों के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न कर दिया जाए और अन्य राज्यों से पत्र-व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही किया जाए। अपने विभाग में हिन्दी में काम हो रहा है या नहीं यह देखने का उत्तरदायित्व सचिव, विभागाध्यक्ष और निगमों के प्रमुख कार्यपालिक अधिकारी का होगा।

4. शासन यह भी स्पष्ट निर्देश देता है कि यदि भविष्य में किसी भी विभाग, संचालनालय, निगम, उपक्रम या अर्धशासकीय संस्थान में कोई भी कार्रवाई अंग्रेजी में होती पाई गई, तो उसे शासन के आदेशों की गंभीर अवहेलना तथा कदाचरण माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(राजेन्द्रपाल कपूर)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

पृष्ठांकन क्रमांक एम-19-21-/(1990)/1/(4) भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 1990

प्रतिलिपि :—

माननीय मुख्य मंत्री जी/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण,

को सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता./-
(व्ही. के. मजोत्रा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.